डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-724 **New Delhi: 28.10.2020**

श्री इंद्रवीर सिंह बाना
पुत्र श्री बिशम्बर सिंह बाना
निवासी गाँव चितौली, पोस्ट उबारपुर
तहसील व जिला - हापुड़

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 18.09.2020, जो इस कार्यालय में दिनांक 25.09.2020 को प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ.

28.10.2020

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

No. CPM/DFCCIL/MTC/EN/RTI/Vol-VII

दिनांक 21.10.2020

डिप्टी जी0एम0/एडमिन(पी0आई0ओ0),
कॉरपोरेट ऑफिस, डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।।

सन्दर्भ:- **(i)** Corporate Office letter No. 2020/HQ/ADMIN/RTI-724 Dated 25.09.2020
(ii) Application Sh. Indraveer Singh Bana Dated 18.09.2020

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से *पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना हेतु ग्राम हाफिजपुर उबारपुर तहसील व जिला हापुड़ के ख0नं0 36ख अन्तर्गत अधिग्रहण की गयी भूमि के अनुदान भुगतान के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना की जानकारी बिन्दुवार निम्नवत् है:-*

क्र.सं.	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	हमारे उक्त अनुदान के वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है?	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के सम्बन्ध में धनराशि वितरण हेतु पूरक माइक्रोप्लान सक्षम प्राधिकारी डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा अनुमोदित हो चुका है।
2	उक्त अनुदान का अभी तक वितरण ना किये जाने का कारण क्या है ?	एन0जी0ओ0 द्वारा किये गये सर्वेक्षण के दौरान भू-स्वामी द्वारा अपने पिता एवं दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मूल माइक्रोप्लान में अनुदान राशि विभक्त कर स्वीकृत कराई गयी थी। बालकराम पुत्र कूडे एवं विशम्बर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति दिनांक 04.08.2020 को एन.जी.ओ. को उपलब्ध कराने पर अनुदान धनराशि पूरक माइक्रोप्लान बना कर दिनांक 22.09.2020 को अनुमोदित कराई गई।
3	उक्त अनुदान के भुगतान में क्या कोई आपत्ति है? यदि हाँ, तो क्या? क्या आवेदक को उक्त आपत्ति के विषय में अवगत कराया गया है? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब? प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं	वर्तमान में अनुदान राशि भुगतान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है।
4	हमारे उक्त अनुदान के वितरण में देरी के लिए क्या कोई ब्याज दिया जाएगा? यदि हाँ, तो क्या?	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि पर कोई ब्याज देय नही है।
5	हमारे उक्त अनुदान वितरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम व पदनाम क्या है?	अनुदान राशि वितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी/डी.एफ.सी.सी.आई.एल. एवं अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन गाजियाबाद अधिकृत है।

21.10.2020

(महावीर सिंह)
उप जनसूचना अधिकारी/
उप परियोजना प्रबन्धक/(विद्युत)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.मेरठ।

Scanned with CamScanner